

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-सा.-12022021-225121
SG-DL-W-12022021-225121

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 03]	दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2021, बृहस्पतिवार/माघ 16—माघ 22, 1942	[रा.रा.क्षे.दि.सं. 315
No. 03]	DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2021, THURSDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1942	[N.C.T.D. No. 315

भाग —IV
PART —IV

भाग- I में सम्मिलित अधिसूचनाओं को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार के विभागों
की अधिसूचनाएं
Notifications of Departments of the Government of the National Capital Territory of Delhi other than
Notifications included in Part-I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़
आदेश

दिल्ली, 7 फरवरी, 2021

सं. फा. 1(548)/प्रा./एसईसी/2021/8188.—जबकि, दिल्ली के तीनों नगर निगमों में 23.04.2017 को आम
चुनाव हुआ था।

और जबकि हर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012 के नियम
104 के प्रावधानों के अनुसार अपने चुनाव खर्चों के खाते का ब्यौरा दाखिल करना था।

और जबकि उक्त नियमों और विशेष रूप से नियम 104 (2) के अनुसार प्रस्तुत खातों का प्रमाणीकरण फॉर्म 20 के माध्यम से हलफनामा दाखिल करना आवश्यक है। निर्देश, प्रासंगिक नियम और फॉर्म 20 की प्रति विधिवत रूप से निहित चुनाव खर्चों के रजिस्टर में प्रस्तुत है, जिसे प्रत्येक उम्मीदवार को दाखिल करना होता है।

और जबकि, श्री राकेश, वार्ड-32 एन, रोहिणी-सी से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, ने चुनाव खर्च का विवरण दर्ज किया है, जो विधिवत नियमों के नियम 104 (2) के अनुपालन में आवश्यक हलफनामा के साथ नहीं था। इस प्रकार, नियम 104 का अनुपालन तहत रीति और समय में नहीं हुआ।

और जबकि, नियमों के अनुसार आयोग द्वारा कारण बताओ नोटिस श्री राकेश को 07.08.2020 को भेजा था, लेकिन डाक अधिकारियों के द्वारा पता ढूँढने के 3 प्रयासों के बाद पता न मिलने पर इसे आयोग को वापस लौटा दिया गया।

और जबकि, श्री राकेश को तदनुसार उपरोक्त नियमों के तहत आदेश सं. 1(81)/ प्रा./एसईसी/2020/7130 दिनांक 25.01.2021 के द्वारा 06 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

और जबकि, श्री राकेश ने 05.02.2021 को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने पूर्वोक्त नियमों के नियम 104(2) का पालन न करने की बात स्वीकार की, लेकिन यह भी बताया है कि वह प्रमाणिक और अनजाने में थी। परिणामस्वरूप उसे उम्मीदवारों की अयोग्यता सूची से हटाने के लिए प्रार्थना की है।

और जबकि, एक विशेष मामले के रूप में श्री राकेश ने आगामी नगर निगम उपचुनाव के लिए नामित उम्मीदवार होने की संभावना पर अत्यधिक आग्रह किया है जिसमें उन्हें उम्मीद है कि वह एक उम्मीदवार होंगे। उन्होंने दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 05.02.2021 को दायर की गई एक रिट याचिका में भी इस मामले पर अविलंब सुनवाई की प्रार्थना की है।

अब इसलिए, मामले के समग्र तथ्यों तथा श्री राकेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष तात्कालिकता पर विचार उपरांत और उनके द्वारा अनजाने के कारण यह चूक होने और इसे सद्भावी मानने का अनुरोध करने के तथ्य पर आयोग मामले के समग्र तथ्यों में स्पष्टीकरण से संतुष्ट है और उसे उम्मीदवारों की अयोग्यता सूची से पूर्वोक्त नियमों के नियम 111 में प्रदत्त शक्तियों के तहत तत्काल प्रभाव से हटाता है। हालांकि उन्हें सतर्क किया जाता है और भविष्य में इस बाबत सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है और इस चूक को रिकॉर्ड पर रखा जा रहा है। पूर्वोक्त रिट याचिका नं० 1585/2021 के लिए माननीय उच्च न्यायालय को तदनुसार सूचित किया जाएगा ताकि इस मामले का निपटारा किया जा सके।

संजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

**STATE ELECTION COMMISSION
N.C.T. OF DELHI AND UT CHANDIGARH
ORDER**

Delhi, the 7th February, 2021

No. F. 1 (548)/Admn./SEC/2020/8188.—WHEREAS General Election to the three Municipal Corporations of Delhi were held on 23.04.2017.

AND, WHEREAS every contesting candidate was required to file the accounts for his election expenses in accordance with the provisions of Rule 104 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012.

AND, WHEREAS the said rules and more particularly Rule 104 (2) requires due authentication of the accounts submitted by way of filing a supporting affidavit in form 20. The copy of the instructions, relevant rules and of Form 20 are duly contained and reproduced in the Register of election expenses, which is to be filed by every candidate.

AND, WHEREAS Sh. Rakesh, a contesting candidate from Ward-32N, Rohini-C, has stated to have filed the statement of election expenses, which were not duly accompanied by a supporting affidavit required in compliance of Rule 104 (2) of the aforesaid Rules. Thus, the compliance of Rule 104 was not in the time and manner as required under the Rules.

AND, WHEREAS a show cause notice was sent to Sh. Rakesh by the Commission on 07.08.2020 in accordance with the Rules but the same was returned undelivered as the address could not be located by the postal authorities despite 3 attempts.

AND, WHEREAS Sh. Rakesh was accordingly disqualified for 06 years vide order F.1(81)/Admin./SEC/2020/7130 dated 25.01.2021 under the aforesaid Rules.

AND, WHEREAS Sh. Rakesh has now sought to and submitted a representation on 05.02.2021, wherein he has admitted to the non compliance with rule 104 (2) of the aforesaid Rules but has pointed out that the same was bonafide and inadvertent. He has accordingly prayed for removing him from the list of disqualified candidates.

AND, WHEREAS as a special case Sh. Rakesh has pleaded extreme urgency on account of the possibility of him being a nominated candidate for the upcoming Municipal bye polls, wherein he expects to be a candidate. He has also prayed for urgency on this account in a pending writ petition filed before the Hon'ble High Court of Delhi by him on 05.02.2021.

NOW, THEREFORE, having considered the overall facts of the case and urgency as set out by Sh. Rakesh before the Hon'ble Court and the fact of him having made this omission due to inadvertence and requesting for considering it to be bonafide, the Commission in the overall facts of the case is satisfied with the explanation and removes him from the list of disqualified candidates, invoking the powers under Rule 111 of the aforesaid Rules, with immediate effect. He is however cautioned and advised to be careful on this account in future and this omission has been duly noted on record. The Hon'ble Court in the aforesaid writ petition bearing No. 1585 of 2021 will also be informed accordingly so that the matter can be disposed of noting the above.

S.K. SRIVASTAVA, State Election Commissioner